भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 610

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

610. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कितने गोदाम कार्यशील हैं;

(ख) क्या उक्त गोदामों में खाद्यान्न उनकी क्षमता से अधिक मात्रा में संग्रहीत हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान में नए गोदाम खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संदर्भ में निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 01.07.2025 तक, राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले 39 गोदाम कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, अलवर, राजस्थान में गेहूँ भंडारण हेतु 75,000 टन क्षमता का एक साइलो कार्यशील है।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न (मुख्य रूप से चावल और गेहूं) का भंडारण और रख-रखाव कर रहा है। यह देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर और रणनीतिक भंडार भी रखता है। राजस्थान राज्य में भंडारण क्षमता से अधिक कोई भी खाद्यान्न संग्रहीत नहीं किया जाता है और न ही कोई भी खाद्यान्न अति-भंडारण के कारण खराब हुआ है।

(घ): हब एवं स्पोक साइलो चरण-II मॉडल के तहत राजस्थान में 07 स्थानों पर 2.25 लाख टन क्षमता के साइलो के निर्माण के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

(ङ.): विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा अलग-अलग होती है और अनुबंध के अनुसार होती है।

*****